

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-04/2023

पटना, दिनांक-

श्री मनीष कुमार तरुण, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), पटना उत्तरी अंचल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-01.04.2026 से 14.04.2026 तक कुल 14 (चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री तरुण के अवकाश लेखा में (175-14=161) (एक सौ एकसठ) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-04/2023 1116

/पटना, दिनांक- 30/3/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र0), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पटना उत्तरी अंचल, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री मनीष कुमार तरुण, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), पटना उत्तरी अंचल, पटना को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित कि प्रभार ग्रहण के समय स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

30.03.2026
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।